दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University Gorakhpur

स्नातक प्रवेश परीक्षा – 2020
(शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए)

UG Entrance Test - 2020
(For the Academic Session 2020-21)

स्नातक प्रवेश निर्देशिका

Under-Graduate Admission Brochure

अधिसूचना
प्रवेश परीक्षा 2020

पत्रांकः DDUGU/Adm./....................   दिनांकः ....

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आवासीय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के (बी0ए0/बी0एस–सी0(जीवविज्ञान)/बी0एस–सी0(गणित) एवं बी0कॉम को छोड़कर) विभिन्न पाठ्यक्रमों (जिनकी योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष की है) में प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए ऑनलाइन आवेदन एतद् द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। प्रवेश से सम्बन्धित समस्त पाठ्यक्रमों का विवरण, स्नातक प्रवेश परीक्षाका कार्यक्रम तथा अर्हताएं, प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित वेबसाइट **www.ddugu.ac.in** पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश सम्बन्धी प्रामाणिक सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। स्नातक प्रवेश परीक्षा 2020 निम्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परिसर, सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संयुक्त रूप से आयोजित की जायेगी

स्नातक पाठ्यक्रमः

1. बी0ए0*****
2. बी0एस–सी0 (गणित)*****
3. बी0एस–सी0 (जीव विज्ञान)*****
4. बी0काम0*****
5. बी0एस–सी0 (गृहविज्ञान)
6. बी0बी0ए0
7. बी0सी0ए0
8. बी0 एस–सी0 (कृषि)
9. बी0एस–सी0 (एम.एल.टी.)
10. बी0एस–सी0 (फिजियोथिरेपी)
11. बी0एस–सी0 नर्सिंग(बेसिक)– केवल महिला अभ्यार्थियों के लिए।
12. बी0ए0एल0एल0बी0 एकीकृत पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम।

***इन पाठ्यक्रमों के लिए केवल विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी। सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश इण्टरमीडिएट के अंकों के आधार पर सम्मत प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा संपादित किया जायेगा।**

नोट :–

1. प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों/विषयों/सीटों की उपलब्धता के अन्य विवरण परिशिष्ट–ए में वर्णित है तथा परिशिष्ट–ए में दिये गये विवरण के अनुसार पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष संस्थानों में प्रवेश होंगे।
2. क्रमांक 08–11 तक के पाठ्यक्रम केवल सम्बद्ध महाविद्यालयों में ही उपलब्ध हैं।

प्रवेश परीक्षा–2020 के लिए आवेदन पत्र कार्यक्रम

क्र0सं0	विवरण	तिथियाँ
1	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने की तिथि	**05.06.2020**
2	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अन्तिम तिथि	**30.06.2020**

*** कोविड–19 के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन के निर्देश के अनुसार प्रवेश परीक्षा के आयोजन की तिथियां बाद में विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in पर घोषित की जायेंगी।**

पंजीकरण शुल्क

क्र0सं0	संवर्ग	शुल्क
1	सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 600.00
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग	रू0 400.00

महत्वपूर्ण नोटः

1. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in से स्वयं फार्म भरें एवं प्रवेशपत्र डाउनलोड करें। **फार्म भरने से पहले समस्त निर्देश ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें।**
2. प्रत्येक पाठ्यक्रम (कोर्स) में प्रवेश हेतु अलग–अलग आवेदन करना होगा। एक पाठ्यक्रम में आवेदन को किसी अन्य पाठ्यक्रम में किसी भी दशा में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। फार्म में किसी प्रकार का परिवर्तन बाद में स्वीकार नहीं होगा।
4. **सम्पूरित आवेदन पत्र की प्रति (हार्ड कॉपी) विश्वविद्यालय को नहीं भेजनी है।**
5. प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र (Admit card) अभ्यर्थी को स्वतः इण्टरनेट से डाउनलोड करना होगा।
6. सम्पूरित ऑनलाइन आवेदन पत्र, भुगतान रसीद व प्रवेशपत्र का प्रिंट (हार्ड कॉपी) अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।
7. पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी प्रवेश सम्बन्धी प्रामाणिक सूचनाओं के लिए वेबसाइट www.ddugu.ac.in नियमित रूप से देखते रहें।
9. पाठ्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत सूचना के लिए परिशिष्ट 'A' देखें।

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सामान्य नियम

1. प्रत्येक स्नातक पाठ्यक्रम के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा।
2. विभिन्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर, सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में सीटों की संख्या पूर्व निर्धारित है। **विस्तृत विवरण के लिए परिशिष्ट 'A' देखें। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश शासनादेश संख्या–2651/सत्तर–2–2003–16।92।/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 के अनुरूप होंगे।**
3. **आरक्षणः नवीन शासनादेशों के अधीन होगा(केवल विश्वविद्यालय केन्द्र एवं सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के लिए)**

(अ) ऊर्ध्व आरक्षण : केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों (UP Domicile) के लिए :

1 अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
2 अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
3 अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं)	27 प्रतिशत
4 बी0ए0एल0एल0बी0 पंचवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम (महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा)	20 प्रतिशत

आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को अपने जिले के सक्षम अधिकारी यथा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा निर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि उनके जाति प्रमाण पत्र अद्यतन हों, तथा राज्य सरकार के नवीनतम राजाज्ञा के अन्तर्गत क्रीमीलेयर में न होने का स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो।

(ब) क्षैतिज आरक्षण :

शारीरिक रूप से दिव्यांग	5 प्रतिशत
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र/पौत्री/प्रपौत्री)	2 प्रतिशत
भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य	2 प्रतिशत
कारगिल युद्ध में शहीद रक्षा कर्मी के आश्रित	1 प्रतिशत
कश्मीर विस्थापित/कश्मीरी घाटी में रहने वाले कश्मीरी पण्डित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के पाल्य	5 प्रतिशत
कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री)	1 प्रतिशत

(स) शासनादेश संख्या कार्मिक अनुभाग–2 संख्या–3/2019/4/12002/का–2/19टी0 सी0–II दिनांकः 14 मार्च, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिये आरक्षण अनुमन्य होगा।

अवगत कराना है कि शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

4. **संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भारांक (वेटेज)–**

(क) (*i*) महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रतिशत।

(*ii*) एन.सी.सी. में '**बी**' सर्टिफिकेट प्राप्त छात्र/छात्राओं के लिए 2 प्रतिशत।

(*iii*) स्काउट/गाइड के छात्र/छात्राओं के लिए 2 प्रतिशत।

टिप्पणीः उपर्युक्त अधिप्रतिनिधित्व दो से अधिक एक साथ नहीं जुड़ेगा। किसी अभ्यर्थी को किन्हीं दो छूटों के आधार पर 4 प्रतिशत से अधिक अधिभार देय नहीं होगा।

(ख) विश्वविद्यालय परिसर, सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के सेवारत/सेवा निवृत्त/मृतक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अविवाहित पुत्र/पुत्री एवं पत्नी/पति को प्रवेश में 10 प्रतिशत अधिभार अनुमन्य है।

टिप्पणीः इस अधिभार का लाभ केवल विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु ही दिया जायेगा। (क) और (ख) को मिलाकर अधिभार की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।

महत्वपूर्ण :

नीचे दी गई तालिका में प्रमाणपत्र के सम्मुख अंकित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होगा जो जाँच हेतु प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण पत्र	**सक्षम अधिकारी**
जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचितजाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग)	जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
दिव्यांग प्रमाण पत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी
प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र (भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य)	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य	कमान अधिकारी (Commanding Officer)
विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	कुलसचिव
सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
कश्मीर विस्थापित/कश्मीरी घाटी में रहने वाले कश्मीरी पण्डित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के पाल्य व कारगिल शहीद आदि	जिलाधिकारी
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

5. विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्यों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) के लिए विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की कक्षाओं में संकायवार प्रवेश के लिए **अधिसंख्य आरक्षण कुल निर्धारित संख्या का 10 प्रतिशत** है। इस श्रेणी में आवेदकों को कुलसचिव द्वारा निर्गत पाल्य प्रमाणपत्र निर्धारित तिथियों के अन्दर समन्वयक कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। तदोपरांत इनके आवेदन पत्रों की पूर्ति आनलाइन समन्वयक कार्यालय के द्वारा कराई जायेगी। यह प्रवेश आरक्षण नियमों के तहत, उपलब्ध स्थान एवं विषय संयुक्तियाँ तथा प्रवेश परीक्षा के अंकों के सापेक्ष होगा। **विश्वविद्यालय में किसी भी पाल्य का प्रवेश बिना प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए नहीं होगा। यह सुविधा मात्र विश्वविद्यालय परिसर हेतु अनुमन्य है।**

6. विश्वविद्यालय परिसर के स्नातक पाठ्यक्रमों में राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पाठ्य क्रमों में कोटा उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत प्रवेश कुलपति जी द्वारा नामित सक्षम समिति के माध्यम से निर्धारित मापदण्डों से होगा। **अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर इसे अनिवार्य रूप से इंगित करना होगा।** ऐसे विकल्प वाले अभ्यर्थी का प्रवेश यदि मेरिट के आधार पर नहीं होता है तो अभ्यर्थी को खेलकूद कोटा के अन्तर्गत प्रवेश की सूचना उचित माध्यम द्वारा निर्गत की जायेगी। आवेदक राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होंगे। खेलकूद कोटा के अन्तर्गत संकायवार आवंटित सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश सम्भव होगा। **यह सुविधा मात्र विश्वविद्यालय परिसर हेतु अनुमन्य है।**

राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न संकायों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु स्थान निम्नवत् निर्धारित हैं –

कला	:	10
विज्ञान	:	03
वाणिज्य	:	03

अर्हता

1. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वर्ष 2017 या उसके बाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होंगे। वर्ष 2020 में इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी स्नातक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु प्रवेश के समय उन्हें योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने का **प्रमाण पत्र/अंक पत्र** प्रस्तुत करना होगा।
2. **योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तीन वर्ष से अधिक अन्तराल की दशा में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं होगा। एक वर्ष के अन्तराल पर 5 प्रतिशत एवं दो वर्ष के अन्तराल 7 प्रतिशत तथा तीन वर्ष के अन्तराल पर 10 प्रतिशत की कटौती के उपरान्त प्रवेश लिया जायेगा। सेवारत सैन्य कर्मियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के प्रवेश में यह नियम लागू नहीं होगा।**
3. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अर्हता का विवरण

पाठ्यक्रम (Course)	**योग्यता प्रदायी परीक्षा (इण्टरमीडिएट या समकक्ष2017 या उसके बाद)**				
	Arts	Science (Math)	Science (Bio)	Agriculture	Commerce
B.A.	✓	✓	✓	✓	✓
B.Sc.(Maths)	X	✓	X	X	X
B.Sc.(Bio.)	X	X	✓	X	X
B.Sc.(Ag.)	X	✓	✓	✓	X
B.Sc.(Home Science)	X	✓	✓	X	X
B.Com.	✓	✓	✓	✓	✓
B.B.A.	✓	✓	✓	✓	✓
B.C.A.	✓	✓	✓	✓	✓
B.Sc. Nursing (Basic)*	X	X	✓	X	X
B.Sc. (PT)	X	✓	✓	X	X
B.Sc. (MLT)	X	✓	✓	X	X
B.A. LL.B. (Hons.) 5Year	✓	✓	✓	✓	✓

***B.Sc. Nursing (Basic) कोर्स केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए।**

नोट :

1. **स्नातक कला (B.A.)** : इण्टरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
2. **स्नातक विज्ञान (गणित संवर्ग)** : इण्टरमीडिएट या समकक्ष विज्ञान वर्ग (गणित संवर्ग) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी।

3. **स्नातक विज्ञान (जीवविज्ञान संवर्ग)** : इण्टरमीडिएट या समकक्ष विज्ञान वर्ग (जीवविज्ञान संवर्ग) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
4. **स्नातक कृषि**: इण्टरमीडिएट(कृषि) या समकक्ष अथवा विज्ञान (गणित एवं जीव विज्ञान समूह) से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
5. **स्नातक गृहविज्ञान** : इण्टरमीडिएट या समकक्ष विज्ञान(गणित एवं जीवविज्ञान समूह) से उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
6. **स्नातक वाणिज्य** : इण्टरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
7. **बी0बी0ए0** : इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
8. **बी0सी0ए0** : इण्टरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
9. **बी0एस–सी0 (नर्सिंग बेसिक)** : इण्टरमीडिएट या समकक्ष जीव विज्ञान संवर्ग 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी जिनकी आयु 31.12.2020 को 17 वर्ष से कम न हो।
10. **बी0एस–सी0 (फिजियोथिरेपी)**: इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा विज्ञान संवर्ग (गणित एवं जीवविज्ञान) में सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिषत अंक अनिवार्य है।
11. **बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0)**: इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा विज्ञान संवर्ग (गणित एवं जीवविज्ञान) में सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।
12. **बी0ए0एलएल0बी0 (एकीकृत पंचवर्षीय पाठयक्रम)**: इण्टरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी।

स्नातक प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम

- स्नातक प्रवेश परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे जिसका स्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष होगा।
- परीक्षा की अवधि 2 घण्टे होगी।
- प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का एवं अधिकतम अंक 200 होगा। **स्नातक प्रवेश परीक्षा में गलत उत्तर पर किसी अंक की कटौती नहीं होगी।**
- भाषा को छोड़कर शेष सभी प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे।

➢ विभिन्न स्नातक प्रवेश परीक्षाओं के लिए पाठ्यकम निम्नवत् होगा –

i. बी0ए0 प्रवेश परीक्षा हेतु–

1.	भाषा ज्ञान–(हिन्दी : 10 प्रश्न एवं अंग्रेजी :10 प्रश्न)	20 प्रश्न
2.	सामान्य अध्ययन– भारतीय इतिहास, दर्शन एवं संस्कृति	20 प्रश्न
3.	भारतीय स्वतंत्रता संग्राम	10 प्रश्न
4.	भारतीय राजनीतिक व्यवस्था	10 प्रश्न
5.	भारतीय सामाजिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था	10 प्रश्न
6.	भारतीय अर्थशास्त्र– कृषि, उद्योग व्यापार एवं पंचवर्षीय योजनायें	10 प्रश्न
7.	महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय समकालीन घटनाओं और खेल–कूद पर आधारित	20 प्रश्न

ii. बी0काम0 प्रवेश परीक्षा हेतु–

1.	भाषा सम्बन्धी–(अंग्रेजी 10 प्रश्न एवं हिन्दी 10 प्रश्न)	20 प्रश्न
2.	सामान्य ज्ञान	15 प्रश्न
3.	मानसिक योग्यता	15 प्रश्न
4.	वाणिज्य पुस्तपालन(बुककीपिंग) एवं लेखाकर्म(एकाउन्टेंसी),	10 प्रश्न
5.	व्यावसायिक संगठन	10 प्रश्न
6.	अर्थशास्त्र	10 प्रश्न

7. अधिकोषण(बैंकिग) 10 प्रश्न
8. व्यावसायिक वातावरण 10 प्रश्न

iii. बी0एस–सी0(गणित)प्रवेश परीक्षा हेतु–

1. सामान्य वैज्ञानिक अध्ययन 10 प्रश्न
2. गणित 30 प्रश्न
3. भौतिकी 30 प्रश्न
4. रसायनशास्त्र 30 प्रश्न

iv. बी0एस–सी0(जीवविज्ञान) प्रवेश परीक्षा हेतु–

1. सामान्य वैज्ञानिक अध्ययन 10 प्रश्न
2. प्राणिविज्ञान 30 प्रश्न
3. वनस्पति विज्ञान 30 प्रश्न
4. रसायनशास्त्र 30 प्रश्न

v. बी0एस–सी0 (कृषि) प्रवेश परीक्षा हेतु–

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के इण्टरमीडिएट (कृषि) का पाठ्यक्रम।

vi. बी0बी0ए0 प्रवेश परीक्षा हेतु

1. सामान्य अंग्रेजी 15 प्रश्न
2. सामान्य ज्ञान 15 प्रश्न
3. सामान्य गणित(हाई स्कूल स्तर) 10 प्रश्न
4. व्यवसाय अध्ययन (इण्टरमीडिएट स्तर– पुस्तपालन लेखाकर्म) 10 प्रश्न
5. व्यवसायिक संगठन 10 प्रश्न
6. प्रारम्भिक अर्थशास्त्र 10 प्रश्न
7. व्यवसायिक वातावरण 10 प्रश्न
8. अधिकोषण 10 प्रश्न
9. सामान्य प्रबन्ध के सिद्धान्त तथा प्रबन्ध के क्रियात्मक क्षेत्र 10 प्रश्न

vii. बी0सी0ए0 प्रवेश परीक्षा हेतु

1. सामान्य अंग्रेजी 10 प्रश्न
2. सामान्य ज्ञान 20 प्रश्न
3. मैथमेटिकल रिजनिंग एवं लॉजिक 20 प्रश्न
4. सामान्य विज्ञान 25 प्रश्न
5. सामान्य गणित (हाई स्कूल स्तर) 25 प्रश्न

viii. बी0एस–सी0 (गृहविज्ञान) प्रवेश परीक्षा हेतु–

1. सामान्य वैज्ञानिक अध्ययन 10 प्रश्न
2. रसायनशास्त्र 30 प्रश्न

3 (क) जीवविज्ञान समूह
- प्राणी विज्ञान 30 प्रश्न
- वनस्पति विज्ञान 30 प्रश्न

(ख) गणित समूह
- गणित 30 प्रश्न
- भौतिकी 30 प्रश्न

ix. बी0एस–सी0(एम.एल.टी.) प्रवेश परीक्षा हेतु–

1. सामान्य वैज्ञानिक अध्ययन 10 प्रश्न

2. रसायनशास्त्र 30 प्रश्न
3 (क) जीवविज्ञान समूह
प्राणी विज्ञान 30 प्रश्न
वनस्पति विज्ञान 30 प्रश्न
(ख) गणित समूह
गणित 30 प्रश्न
भौतिकी 30 प्रश्न

x. बी0एस–सी0(फीजियोथिरेपी)प्रवेश परीक्षा हेतु–

1. सामान्य वैज्ञानिक अध्ययन 10 प्रश्न
2. रसायनशास्त्र 30 प्रश्न
3 (क) जीवविज्ञान समूह
प्राणी विज्ञान 30 प्रश्न
वनस्पति विज्ञान 30 प्रश्न
(ख) गणित समूह
गणित 30 प्रश्न
भौतिकी 30 प्रश्न

xi. बी0एस–सी0(नर्सिंग बेसिक)प्रवेश परीक्षा हेतु–

1. सामान्य वैज्ञानिक अध्ययन 10 प्रश्न
2. प्राणिविज्ञान 30 प्रश्न
3. वनस्पति विज्ञान 30 प्रश्न
4. रसायनशास्त्र 30 प्रश्न

xii. बी0ए0एल0एल0बी0 (एकीकृत पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम)

1. भाषा बोध 20 प्रश्न
2. सामान्य जागरुकता एवं सामयिक घटनाएं 30 प्रश्न
3. तर्क एवं मानसिक क्षमता 30 प्रश्न
4. विधिक अभिरुचि 20 प्रश्न

प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रवेश परीक्षा के उपरान्त बी0ए0/बी0एस–सी0(जीवविज्ञान)/बी0एस–सी0(गणित) एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोई च्वाइस फिलिंग नहीं करना है क्योंकि इनका प्रवेश केवल विश्वविद्यालय परिसर में ही होगा।

2. बी0एस–सी0 (एम.एल.टी.), बी0एस–सी0 (फिजियोथिरेपी) एवं बी0एस–सी0 नर्सिंग(बेसिक) पाठ्यक्रम केवल एक ही महाविद्यालय में उपलब्ध होने के कारण इन पाठ्यक्रमों के लिए च्वाइस फिलिंग नहीं करनी है।

3. बी0बी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस–सी0(कृषि)/बी0एस–सी(गृहविज्ञान)/बी0ए0एल–एल0बी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महाविद्यालयों में उपलब्धता के अनुसार अभ्यर्थी चयनित प्रत्येक पाठ्यक्रम के आवेदन की हार्ड कापी प्रिन्ट करने के उपरान्त पाठ्यक्रम के अनुसार अधिक से अधिक महाविद्यालयों का ऑनलाइन विकल्प (च्वाइस फिलिंग) भरेंगे। विश्वविद्यालय परिसर में पाठ्यक्रम नहीं होने की स्थिति में या विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश ना हो पाने की स्थिति में महाविद्यालय का आवंटन अभ्यर्थी द्वारा दिये गये वरीयता क्रम एवं मेरिट के आधार किया जायेगा।

4. अभ्यर्थी महाविद्यालयों का चयन अपनी वरीयता के अनुसार प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् तीन दिनों तक ही कर सकता है। अलग–अलग पाठ्यक्रम के लिये महाविद्यालयों की वरीयता का चयन अलग–अलग किया जाना है।

5. प्रवेश परीक्षा में अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों का अस्थाई प्रवेश उनके द्वारा चयनित पाठ्यक्रम, प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक तथा अनुमन्य अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) के आधार पर निर्मित सूचकांक एवं श्रेष्ठताक्रम के अनुसार उपलब्ध सीटों पर सुसंगत नियमो के आधार पर होगा।

6. आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया निम्नवत् सम्पन्न की जायेगी

- विश्वविद्यालय परिसर
- राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय
- स्ववित्तपोषित महाविद्यालय

7. पाठ्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में आवंटित छात्र/छात्राओं की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

8. विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन **काउन्सिलिंग** के माध्यम से होगा जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है—

(i) विश्वविद्यालय परिसर के लिए चयनित सूची से प्रवेशार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर **काउन्सिंलिंग** हेतु उपस्थित होकर अपने समस्त अभिलेखों का सत्यापन कराएंगे। इसकी सूचना वेबसाइट *www.ddugu.ac.in* पर उपलब्ध होगी।

(ii) अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् उसका आवंटन उनके द्वारा चयनित संयुक्तियों में से मेरिट के आधार पर ऑनलाइन कर दिया जायेगा।

विषय संयुक्तियाँ(केवल विश्वविद्यालय केन्द्र के लिए)

स्नातक कला (बी0ए0):

स्नातक कला (बी0ए0) में निम्नलिखित विषय विश्वविद्यालय केन्द्र पर उपलब्ध हैं—

मनोविज्ञान, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, पालि, अर्थशास्त्र, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन, दर्शनशास्त्र, इतिहास, दृश्य कला, प्राचीन इतिहास, उर्दू, मंच कला, अंग्रेजी, संस्कृत, सांख्यिकी, गणित, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, समाजशास्त्र।

- महत्वपूर्ण – विषय संयुक्तियों की सूचना बी0ए0 प्रवेश परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट *www.ddugu.ac.in* पर दी जायेगी।

नोटः

1. गृह विज्ञान विषय वे ही अभ्यर्थी ले सकते हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट में गृह–विज्ञान विषय पढ़ा हो अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण किया हो।
2. भूगोल विषय वे ही अभ्यर्थी ले सकते हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट में भूगोल पढ़ा हो अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान या कृषि वर्ग से उत्तीर्ण किया हो।
3. सांख्यिकी के साथ गणित लेना अनिवार्य होगा।
4. **प्रत्येक विषय में स्थान निर्धारित है। प्रवेश के उपरान्त विषय परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।**

स्नातक विज्ञानः (बी0एस–सी0)

विज्ञान संकाय में पढ़ाये जाने वाली निम्नांकित संयुक्तियाँ स्वीकृत है

गणित समूह में निम्नांकित संयुक्तियाँ स्वीकृत है

- गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र
- गणित, भौतिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स
- गणित, भौतिकी एवं सांख्यिकी
- भौतिकी, गणित एवं कम्प्यूटर साइन्स

- गणित, सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर साइंस
- गणित, भौतिकी तथा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
- गणित, सांख्यिकी तथा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
- भौतिकी, गणित एवं औद्योगिक रसायनशास्त्र
- गणित, रसायनशास्त्र एवं औद्योगिक रसायनशास्त्र

जीवविज्ञान समूह में निम्नांकित संयुक्तियाँ स्वीकृत है

- वनस्पतिशास्त्र, प्राणिविज्ञान एवं रसायनशास्त्र
- वनस्पतिशास्त्र, प्राणिविज्ञान तथा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
- वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र एवं औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान
- प्राणि विज्ञान, रसायनशास्त्र एवं औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान
- प्राणि विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र एवं औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान

टिप्पणी : औद्योगिक रसायनशास्त्र एवं औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान बिषय स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित है।

(iii) अभ्यर्थी को अपना निर्धारित शुल्क ऑनलाइन (नेट बैंकिग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से) निर्धारित समय एवं तिथि (03 दिन अधिकतम)के अन्तर्गत जमा कर प्रवेश को सुनिश्चित कर लेना होगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क न जमा करने पर उसकी सीट को रिक्त मानते हुए मेरिट के क्रम में दूसरे अभ्यर्थी को उक्त सीट/संयुक्तियां आवंटित कर दिया जायेगा।

(ख)**राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय** की पाठ्यक्रमानुसार सूची के आधार पर (सुसंगत नियमों के अन्तर्गत)प्रवेश सम्पन्न किया जायेगा। निर्गत सूची के आधार पर अभ्यर्थी समस्त मूल प्रमाणपत्रों के साथ सम्बन्धित महाविद्यालय में जाकर प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित तिथि तक पूर्ण करेंगे।

(ग)**स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों** में प्रवेश के लिए निर्गत सूची (पृष्ठ 4 के 4(ख) में वर्णित को छोड़कर) के आधार पर प्रवेश सम्पन्न किया जायेगा। निर्गत सूची के आधार पर अभ्यर्थी समस्त मूल प्रमाणपत्रों के साथ आवंटित महाविद्यालय में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

8. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति के समक्ष समस्त मूल प्रमाण पत्रों (आधार कार्ड, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अधिप्रतिनिधित्व प्रमाण–पत्र, दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित/कश्मीर विस्थापित/कश्मीरी घाटी में रहने वाले कश्मीरी पण्डित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के पाल्य/कारगिल शहीद, दिव्यांग प्रमाण–पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र/अन्तिम संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र आदि) एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित एवं सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। जो अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य बोर्ड/संस्थाओं से उत्तीर्ण हैं (यथा–सी.बी.एस.ई.,आई.सी.एस.ई. तथा अन्य बोर्ड) उन्हें **प्रवजन** प्रमाण पत्र भी लाना होगा।
9. चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक शुल्क जमा करके सम्बन्धित संकाय कार्यालय/महाविद्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
10. आवेदन पत्र पर पूर्व में अंकित किसी भी संवर्ग (*Category*), उपवर्ग (*Sub-category*) या भारांक (*Weightage*) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्तप्रमाणपत्र प्रवेश के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपयुक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाने की दषा में सम्बन्धित लाभ देय नहीं होगा एवं श्रेष्ठताक्रम तद्नुसार परिवर्तित कर दिया जायेगा।
11. अभ्यर्थी को इस आशय की घोषणा करनी होगी कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक वाद नहीं है तथा भविष्य में अगर कोई एफ.आई.आर. दर्ज होगा तो उसका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।
12. विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है।

13. **प्रवेश के समय प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा, एतदर्थ प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें।**
14. विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी।
15. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी समस्त प्रपत्र/अभिलेख प्रवेश परीक्षा समाप्त होने की तिथि से केवल छः माह तक ही सुरक्षित रखा जायेगा।
16. जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2020 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उपर्युक्त **अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र** प्रवेश हेतु **काउन्सिलिंग** के समय प्रस्तुत करना होगा।
17. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित छात्र उस तिथि से माना जायेगा जिस दिन उसने प्रवेश शुल्क जमाकर सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण करा लिया हो।
18. प्रवेश सम्बन्धी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों तथा नियमों के अनुसार है। प्रवेश समिति किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश बिना कारण बताये हुए निरस्त कर सकती है।
19. प्रवेश के सम्बन्ध में यदि कोई अन्यथा स्थिति उपन्न होती है तो प्रवेश समिति के निर्णयानुसार तत्समय कार्रवाई की जायेगी।
20. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर अथवा असफल रह जाने या रोक लिये जानेपर किसी छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की उस कक्षा में दुबारा प्रवेश नहीं मिल सकेगा। परीक्षा में सम्मिलित/असफल छात्रों को भूतपूर्व छात्र होने की सुविधा उपलब्ध है।
21. विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में किसी महाविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश नहीं होगा।

प्रवेश परीक्षा के आवश्यक व महत्वपूर्ण निर्देश :

1. प्रश्नपुस्तिका के साथ ओ0एम0आर0 **उत्तर पत्र** दिये जायेंगे, जिस पर उत्तर अंकित करना होगा। केवल उत्तर पत्र का ही मूल्यांकन होगा।
2. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिनमें सही उत्तर का चुनाव कर **उत्तर पत्र** में उस प्रश्न संख्या के सामने बने विकल्पों के **वृत्तों** में से आप द्वारा चयनित विकल्प को **काले/नीले बालपेन से भरना होगा।**

उदाहरणार्थ–

1. रेखांकित शब्द की शुद्ध बर्तनी चुनिए–

A.सृखंलाओं ○
B.श्रृंखलाओं ●
C.सिरखलाओं ○
D.संख्याओं ○

2. Select the word with the correct spelling

A. Psichology ○
B. Sychology ○
C. Psychology ●
D. Psychlogy ○

आलोक– उपर्युक्त प्रश्न केवल उदाहरणार्थ है, एवं इसका वास्तविक प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

परिशिष्ट – 'A'

शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम विभिन्न संस्थानों में निर्धारित सीटों के सापेक्ष प्रवेश होंगे जिसका विवरण निम्नवत् है।				
Sl.	College Code	Collage Name	Course	Total Seat
1	001	DEEN DAYAL UPADHYAYA GORAKHPUR UNIVERSITY CAMPUS, GORAKHPUR	BA	2438
2	001	DEEN DAYAL UPADHYAYA GORAKHPUR UNIVERSITY CAMPUS, GORAKHPUR	B.Sc.(Math)	300
3	001	DEEN DAYAL UPADHYAYA GORAKHPUR UNIVERSITY CAMPUS, GORAKHPUR	B.Sc.(Bio)	150
4	001	DEEN DAYAL UPADHYAYA GORAKHPUR UNIVERSITY CAMPUS, GORAKHPUR	B.Com.	500
5	001	DEEN DAYAL UPADHYAYA GORAKHPUR UNIVERSITY CAMPUS, GORAKHPUR	B.B.A.	75
6	723	MARWAD BUSINESS SCHOOL, NASEERABAD, GORAKHPUR	B.B.A.	66
7	836	I.T.M. COLLEGE OF MANAGEMENT, GIDA, GORAKHPUR	B.B.A.	66
8	001	DEEN DAYAL UPADHYAYA GORAKHPUR UNIVERSITY CAMPUS, GORAKHPUR	B.C.A.	50
9	705	ISLAMIA COLLEGE OF COMMERCE, GORAKHPUR (Minority)	B.C.A.	60 (60/2=30)
10	723	MARWAD BUSINESS SCHOOL, NASEERABAD, GORAKHPUR	B.C.A.	66
11	726	DIGVIJAY NATH P. G. COLLEGE, GORAKHPUR	B.C.A.	66
12	836	I.T.M. COLLEGE OF MANAGEMENT, GIDA, GORAKHPUR	B.C.A.	66
13	735	PACIFIC COLLEGE OF PHISIOTHEREPY, GORAKHPUR	B.Sc. (P.T.)	60
14	001	DEEN DAYAL UPADHYAYA GORAKHPUR UNIVERSITY CAMPUS, GORAKHPUR	B.Sc. (Home Science)	40
15	722	MAHATMA GANDHI P. G. COLLEGE, GORAKHPUR	B.Sc. (Home Science)	44
16	745	SARASWATI VIDYA MANDIR MAHILA MAHAVIDYALAYA, AARYA NAGAR, GORAKHPUR	B.Sc. (Home Science)	44
17	765	CHANDRAKANTI RAMAVATI DEVI ARYA MAHILA MAHAVIDYALAYA, GORAKHPUR	B.Sc. (Home Science)	44
18	777	GANGOTRI DEVI MAHILA MAHAVIDYALAYA, GORAKHPUR	B.Sc. (Home Science)	44
19	830	GURU SHRI GORAKSHNATH COLLEGE OF NURSING, GORAKHNATH, GORAKHPUR	B.Sc. (Nursing)	60
20	735	PACIFIC COLLEGE OF PHISIOTHEREPY, GORAKHPUR	B.Sc. (M.L.T.)	60
21	001	DEEN DAYAL UPADHYAYA GORAKHPUR UNIVERSITY CAMPUS, GORAKHPUR	B.A. LL.B. (Five Year)	120
22	835	PRABHA DEVI BHAGAWATI PRASAD VIDHI MAHAVIDYALAY, ANANTPUR, HARPUR BUDAHAT, SAHJANWA, GORAKHPUR (Approved by BCI till dt 30-06-2020)	B.A. LL.B. (Five Year)	120
23	852	NATIONAL COLLEGE OF LAW, BARAHALGANJ, GORAKHPUR (Approved by BCI till dt 30-06-2020)	B.A. LL.B. (Five Year)	120
24	774	NATIONAL P. G. COLLEGE, BARHALGANJ, GORAKHPUR	B.Sc. (Ag.)	150
25	110	B. R. D. P. G. COLLEGE, DEORIA	B.Sc. (Ag.)	150